# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 277/2018**

1. रघुवीरसिंह पुत्र श्री रामप्रताप
2. उग्रसेन पुत्र श्री लालचन्द
3. अशोक कुमार पुत्र श्री लालचन्द

जाति जाट निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगगांनगर

**– – प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। **– – अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 06.06.2018

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 18 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 20/1 में 0.007 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 11 के किलानम्बर 11/1 में 0.013, 12/1 में 0.012, 13/.1 में 0.013, 14/2 में 0. 012, 15/2 में 0.007 16/2 में 0.025 व मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 14/2 में 0.025, 15/2 में 0.012, कुल तीनों मुरब्बों में 0.126 हैक्टर रकबा रास्ता अपनी सहमती से स्वीकृत करवाना चाहते है तथा मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 20/1 में .007 व मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 14/2 में 0.025, 15/.007, 16/2 में 0.025 हैक्टर रास्ते के लिये सहमति अपनें रकबे इस प्रकार से कुल दोनों मुरब्बाजात में 0.051 हैक्टर रघुवीर पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगागनगर अपनें रकबें में बिना प्रतिफल लिये स्वीकृत करवाना चाहता है इसी प्रकार से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11/1 में 0.013, 12/1 में 0.012, 13/1 में 0. 013 हैक्टर कुल 0.038 हैक्टर उग्रसेन पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा 18 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर बिना प्रतिफल लिये उक्त रकबा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। इसी प्रकार से मुरब्बा नम्बर 12 के लिये किला नम्बर 14/2 में 0.025, 15/2 में 0.012 कुल 0.037 हैक्टर अशोक कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी गाव 18 जी.जी. गोवन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर बिना प्रतिफल लिये रास्ता स्वीकृत करना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि चक 18 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 20/1 में 0.007, मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11/1 में 0. 013, 12/1 में 0.012, 13/1 में 0.013, 14/2 में 0.012, 15/2 में 0.007, 16/2 में 0.025 व मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 14/2 में 0.025, 15/2 में 0.012 कुल 0. 126 हैक्टर सहमती से रास्ता स्वीकृत करनें के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई प्रार्थीगण को सुना गया ब्यान दर्ज किये गये पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

लगातार ............... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

## – :: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 18 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 20/1 में 0.007, मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11/1 में 0.013, 12/1 में 0.012, 13/1 में 0.013, 14/2 में 0.012, 15/2 में 0.007, 16/2 में 0.025 व मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 14/2 में 0.025, 15/2 में 0.012 कुल 0.126 हैक्टर सहमती के आधार पर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 06.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चुनावढ़ में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर